न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 154/2019

1. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आगरा रोड दौसा जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स गणेश मिनरलर्स प्रोपराईटर श्रीमति आचुकी शर्मा पत्नि सीताराम शर्मा निवासी एफ–98, गणेश नगर, रोडवेज बस डिपो के पीछे, आगरा रोड, दौसा जिला दौसा।
2. सीताराम शर्मा पुत्र श्री चिरंजीलाल शर्मा निवासी एफ–98, गणेश नगर, रोडवेज बस डिपो के पीछे, आगरा रोड, दौसा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री इफतेखार खान, अधिवक्ता प्रार्थी।

<u>आदेश</u> दिनांकः 31.7.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आगरा रोड दौसा जिला दौसा ने अप्रार्थी/ऋणीगण मैसर्स गणेश मिनरलर्स प्रोपराईटर श्रीमति आचुकी शर्मा पत्नि सीताराम शर्मा निवासी एफ–98, गणेश नगर, रोडवेज बस डिपो के पीछे, आगरा रोड, दौसा जिला दौसा को 35,80,000/–(रूपये पैंतीस लाख अस्सी हजार) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आगरा रोड दौसा जिला दौसा को सुना गया। हमने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आगरा रोड दौसा जिला दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आगरा रोड दौसा जिला दौसा को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई सम्पत्ति जो श्रीमति आचुकी शर्मा पत्नि सीताराम शर्मा के नाम है जो प्लॉट नम्बर जी–1–32 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बापी जिला दौसा में स्थित जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आगरा रोड दौसा जिला दौसा को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official